जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित
गावों में भी शहरों के समान बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश
15 अगस्त, 2018 से किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना लागू होगी

जयपुर, 27 जुलाई । जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की शुक्रवार को विद्युत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने कहा कि अधिकारी गत वर्ष के बचे कार्य को पूरा करने के साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाएं और इसके लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल्स का अधिकतम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जब बिजली की दर सबके लिए समान है तो गांव व शहरों की बिजली व्यवस्था में अन्तर नही होना चाहिए और शहरों के समान ही गावों में भी बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

बैठक में निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, सचिव–प्रशासन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, संभागीय मुख्य अभियन्ता एवं सभी सर्किलों के अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित रहे।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा 15 अगस्त से डिस्कॉम क्षेत्र के सभी जिलों में किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना लागू की जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद किसानों के ट्रांसफार्मर 3 घंटे में बदले जा सकेगें और पुराने ट्रांसफार्मर भी स्टोर में तुरन्त जमा हो सकेगे। उन्होंने कहा कि जयपुर डिस्कॉम में 4 लाख कृषि उपभोक्ता है और यह योजना केवल किसानों के लिए है। बिजली मित्र एप पर शिकायत दर्ज कराते ही कम्पलेन्ट नम्बर के आधार पर टांसफार्मर बदला जाएगा। इसके लिए डिवीजन स्तर पर औसत बर्निंग दर के अनुसार ट्रांसफार्मर का रिजर्व स्टाक रखा जाएगा, जिससे शिकायत प्राप्त होते ही 3 घंटे में ट्रांसफार्मर को बदला जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली मित्र एप के माध्यम से हाई रिस्क पाइन्ट, लूज लाईन, टेढे पोल आदि की शिकायत की फोटो भी किसी के द्वारा भिजवाई जाती है तो इस तरह की शिकायत को दूर करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। शिकायत की फोटो छोटी जरुर होती है पर बहुमूल्य होती हैं।

आज आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान, डिफेक्टिव मीटर को बदलने की स्थिति, ट्रिपिंग फ्री सप्लाई, राजस्व वसूली आदि की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 787/2018